

प्रपत्र- 2

विना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH- stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)



विना विवरण:

अजन्त कुमार शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
बरेली-सितारगंज

अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand
1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप परियोजना की लागत।	सलग्न है। रु० 1580 करोड़
वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	प्रस्तावित परियोजना मौजूदा सड़क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण हेतु संरक्षित

वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हरदोली

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उप्र)

	वन भूमि आवेदित
लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना	प्रस्तावित परियोजना सड़क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में कार्यरत स्थानीय मजदूरों एवं रखरखाव में कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त होगा।
कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	0.7905 हे0 सड़क के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण हेतु।
परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	शून्य
परिवारों की संख्या	शून्य
अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?	नहीं 
प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के	संलग्न है।  परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यालयन इकाई, बरेली (उ0प्र0)

अजन्त कुमार शर्मा
राजस्व एवं निरीक्षक
तहसील-सितारगंज

वन क्षेत्राधिकारी
वाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वानी

	साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) ।	
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा ।	संलग्न है।

अजन्त कुमार शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
वहनीज-सितारगंज

दिनांक :

स्थान :

Bumpy

वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वारी

हस्ताक्षर

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (UP)।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundiyan Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

3. परियोजना / स्कीम का स्थान

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- ii) जिला
- iii) वन प्रभाग
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति vi) हरियाली का घनत्व
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)
 - सिंचाई / जलीय परियोजनाओं सम्बन्ध में एफआर०एल०] – 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी
- ix) बनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवगण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख बन्द जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य

और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का

- i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी समय सूची लागत ढाचा आदि।
- iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्ब उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए

12- प्रभाग / जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

iii. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक

वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) बनेतर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

(प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित)

दिनांक

स्थान-

परियोजना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundiyan Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14 - स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15 - क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
पदनाम

स्थान.....
मोहर

हस्ताक्षर

नाम और

सरकारी

परियोजना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundiyan Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय, सम्बन्धित
वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक
टिप्पणी दी जाय)

तिथि:
पदनाम

स्थान :
मोहर

हस्ताक्षर
नाम और
सरकारी

परियोजना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand starting from Ch. 0+000 is Mundiyan Ahmad Nagar & terminates at Ch. 64+760 near Sitarganj at Pandri. The length of project road is 64.760 Km

भाग- V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग- या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि:

स्थान:

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर